जमानत आवेदन क्र०-734 /2022

संतोष पटेल वि**. छ०ग० राज्य**

CGRG010019352022

न्यायालय–पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़, जिला रायगढ (छ०ग०) के जमानत आवेदन पत्र क्रमांक–734/2022 अंतर्गत धारा–439 दं०प्र०सं०, संतोष पटेल विरूद्ध छ०ग०राज्य में पारित आदेश दिनांक–13/10/2022 की सत्यापित प्रतिलिपि।

... ...

संतोष पटेल आ० काशीराम पटेल, उम्र–36 वर्ष,

निवासी–तेंदुडीपा, देवारपारा

तहसील व जिला–रायगढ़ (छ०ग०) ... **....आवेदक /अभियुक्त**

–//**विरूद्ध** //–

छ०ग० राज्य,

द्वारा–चौकी प्रभारी जूट मिल

जिला–रायगढ़ (छ०ग०) **.....अनावेदक**

... ...

13/10/2022 यह जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त ।

आवेदक/अभियुक्त संतोष पटेल की ओर से श्री आशीष

मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

शासन की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार थवाईत, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी एवं तर्क हेतु नियत है ।

संबंधित थाना से केस डायरी प्राप्त ।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त संतोष पटेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–439 के अंतर्गत आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को पुलिस चौकी जूटमिल थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज अपराध क्र.–1383/2022 अंतर्गत धारा–392/34 भादवि के तहत दिनांक–06/10/2011 की रात्रि को गिरफ्तार कर दिनांक–07/10/2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है । आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–437 दं०प्र०सं० दिनांक–10/10/2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया । आवेदक/ अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है । उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । प्रकरण के सह आरोपी शिवा वैष्णव के

साथ इस प्रकरण के तथाकथित प्रार्थी रोहित राजपूत द्वारा अपने साथियों डेण्डे सोनकर, अमन सोनकर व अन्य के साथ मिलकर दिनांक–05/10/2022 को पुरानी रंजिश को लेकर गंभीर रूप से मारपीट की गई है । उक्त घटना की रिपोर्ट सह आरोपी शिवा वैष्णव द्वारा पुलिस थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में घटना के तुरंत पश्चात् दर्ज कराई गई है । जिस पर प्रकरण के तथाकथित प्रार्थी रोहित राजपूत एवं उसके साथी अमन सोनकर व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में प्रथम सूचना पत्र क्रमांक– 1381/2022 दर्ज किया गया है । आवेदक/अभियुक्त की पुत्री की शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज अपराध क्र.–1013/2022 को वापस लेने हेतु आवेदक/अभियुक्त को अमन सोनकर व उसके परिचितों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था । उक्त की गई शिकायत को वापस लेने के लिये आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अमन सोनकर द्वारा अपने परिचित प्रकरण के तथाकथित प्रार्थी रोहित राजपूत से झूठी तथा मिथ्या शिकायत कराकर आवेदक/अभियुक्त को विद्वेषपूर्वक इस प्रकरण में आलिप्त किया गया है । आवेदक/अभियुक्त 36 वर्षीय युवक है एवं अपने परिवार का एक मात्र कमाउ सदस्य है । यदि उसे जेल अभिरक्षा में भेजा जाता है तो उसके परिजनों को घोर आर्थिक संकटों का सामना करना पडेगा । आवेदक/अभियुक्त आवेदन में दर्शित पते

का स्थायी निवासी है, जहां पर उसकी समस्त चल एवं अचल संपत्ति स्थित है । ऐसी स्थित में उसे जमानत मिलने पर उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। उसे जमानत का लाभ दिया जाये। अभियुक्त का यह **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र है तथा इस जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से **मीना पटेल पति संतोष पटेल** ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तथा बताया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन है इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है ।

अपर लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार थवाईत द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर चौकी जूटमिल के अप०क्र०–1383/2022, धारा–392, 34 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध कारित किये जाने का

आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी रोहित राजपूत के द्वारा चौकी उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक–05/10/2022 के रात करीब 11.30 अपने दोस्तों के साथ दशहरा देखकर वापस अपने घर आ रहा था उसी समय प्रकरण के आरोपी शिवा वैष्णव एवं संतोष पटेल के द्वारा एक राय होकर प्रार्थी एवं उसके दोस्तों को डरा धमकाकर पैसो की मांग करते हुये प्रार्थी एवं गवाहों का जेब चेक कर प्रार्थी रोहित राजपूत के जेब में रखा 1200/– रूपये को लूटकर भाग गये । प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को सोनुमुड़ा रेल्वे कालोनी के पास मुखबीर सूचना पर पकड़ा गया । आरोपी शिवा वैष्णव का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो घटना दिनांक समय को अपने साथी संतोष पटेल के साथ प्रार्थी एवं उसके दोस्तों को डरा धमका कर रोहित राजपूत के जेब से 1200/–रूपये की लूट की घटना घटित करना स्वीकार कर लूट की रकम 1200/– रूपये में से 670/– रूपये को दारू मुर्गा में खर्च करना बताकर 530/– रूपये को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है । अभियुक्त संतोष पटेल को गिरफ्तार कर रिमांड न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना अपूर्ण है । अतः प्रकरण के निराकरण में

समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। धारा–392 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत कारित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के आदतन अपराधी होने अथवा पूर्व से दोषसिद्ध होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अभियुक्त के द्वारा यह कारित प्रथम अपराध दर्शित होता है । आवेदक/अभियुक्त संतोष पटेल दिनांक–06/10/2022 से आज दिवस तक लगभग 08 दिवस से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसकी गिरफ्तारी पत्रक में उसके जिला–रायगढ (छ 0 ग 0) का स्थायी निवासी होना उल्लेखित है। उक्त कारित अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की अभिरक्षाधीन अवधि व उसके जिला–रायगढ (छ 0 ग 0) के स्थाई निवासी होने आदि पर संपूर्णता से विचार करते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त संतोष पटेल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं०प्र०सं० विचारोपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है:–

01– अभियुक्त जिस अपराध के वह अभियुक्त है या संदिग्ध है उसके द्वारा कारित किया जाना संदिग्ध है, के

समरूप कोई अपराध नहीं करेगा।

02– आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के शीघ्र एवं निष्पक्ष विचारण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

03– आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक पेशी तिथि पर अपवादित परिस्थितियों के सिवाय नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

04– यदि उपरोक्त शर्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किया जाता है तो आवेदक/अभियुक्त की जमानत व स्वमेव निष्प्रावी माना जावेगा।

यदि आवेदक/अभियुक्त **संतोष पटेल** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ, जिला–रायगढ़ (छ०ग०) के संतुष्टि योग्य 20,000–20,000/–रू0 (बीस–बीस हजार रूपये) की दो सक्षम जमानत तथा समतुल्य राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अधीन पेश होने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे ।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय एवं संबंधित थाना को केस डायरी के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में

जमानत आवेदन क्र०-734 /2022

संतोष पटेल वि. **छ०ग० राज्य**

अभिलेखागार में जमा किया जावे।

KAMLESH JAGDALLA

Digitally signed by KAMLESH JAGDALLA
Date: 2022.10.13 16:27:21 +0530

(कमलेश जगदल्ला)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ०ग०)